झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–457 वर्ष 2017

सरजू राउत, पे0–अद्री राउत, निवासी ग्राम–पिंडराबाद, डाकघर–डूमा, थाना–जमुआ, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड) .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, गिरिडीह, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह
4. ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी, जमुआ, गिरिडीह, डाकघर, थाना–जमुआ, जिला–गिरिडीह .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री आशीष वर्मा, जी0ए0–IV का जे0सी0

05 / 11.12.2017 **आई0ए0 सं0 8108 / 2017**

यह आवेदन दिनांक 30.01.2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन के लिए दायर किया गया है, जिसकी एक प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न 'नहीं' की गई है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता को दिनांक 14.08.2010 के एक आदेश द्वारा निलम्बित कर दिया गया था एवं उन्हें 7 वर्षों का लंबे समय तक निलंबित रखा गया था और सेवा से उनकी सेवानिवृति की अंतिम तिथि को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, जो याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के संज्ञान में तभी लाया गया था, जब प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के साथ दिनांक 30.01.2017 के आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड पर लाई गई थी।

जो भी हो, ये सभी मुद्दे दिनांक 30.01.2017 के आदेश की वैधता से संबंधित हैं। रिट याचिका को प्रारंभिक रूप से दिनांक 14.08.2010 के आदेश, जो कि निलंबन का ओदश है, को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, अब याचिकाकर्ता दिनांक 30.01.2017 की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने का इरादा है। वर्तमान कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा दिए गए तथ्यों में, दिनांक 30.01.2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए, याचिकाकर्ता को अलग आधारों पर अनुरोध करना होगा, जो स्पष्ट रूप से रिट याचिका में निवेदन नहीं किया गया है। दिनांक 30.01.2017 का आदेश याचिकाकर्ता को कार्रवाई का एक अलग कारण प्रदान करता है, जिसके लिए वह कानून में उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सकता है।

तद्नुसार, आई0ए0 सं0 8108/2017 को खारिज किया जाता है।

<u>डब्ल्यू0पी (एस0) सं0 457/2017</u>

दिनांक 30.01.2017 को दंड आदेश पारित करने पर, तत्काल रिट याचिका निष्फल हो गया है, हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने निलंबन के अवधि के दौरान का पूर्ण वेतन और भत्ते के भुगतान का हकदार होगा या नहीं इसका निर्णय दिनांक 30.01.2017 के आदेश की वैधता का परीक्षण किए जाने के बाद लिया जाएगा।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)